"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगंतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015.''

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

# (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 211 ]

रायपुर, गुरूवार, दिनांक 11 मई 2023 - वैशाख 21, शक 1945

# कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 11 मई 2023

#### अधिसूचना

क्रमांक/एफ–9–5/2023/तक.शि/42.— राज्य शासन अपनी कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतदद्वारा छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के मास्टर ऑफ फॉर्मेसी (एम. फार्मेसी) पाठ्यकमों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् --

- 1 संक्षिप्त नाम एवं विस्तार--
- (1) यह नियम "छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के मास्टर ऑफ फॉर्मेसी (एम. फार्मेसी) पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश नियम-2023" कहलायेंगे।
- (2) यह नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर लागू होंगे ।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशित होने के तिथि से प्रभावी होंगे।

- 2. परिभाषायें --इन नियमों में, जहां तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नानुसार होगा --
  - (1) 'छत्तीसगढ़' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य, जो केन्द्र शासन की अधिसूचना के कारण दिनांक 01–11–2000 को अस्तित्व में आया ।
  - (2) 'पीसीआई' से अभिप्रेत है, फार्मेसी कॉउसिंल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली।
  - (3) 'संचालक' से अभिप्रेत है, संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़, अटल नगर, रायपुर।
  - (4) 'अभ्यर्थी' से अभिप्रेत है, उस व्यक्ति से जो इन नियमों के अंर्तगत प्रवेश हेतु इच्छुक है एवं जिसने इस हेतु इन नियमों के अंतर्गत आवेदन किया है।
  - (5) 'अल्पसंख्यक संस्था' से अभिप्रेत है, ऐसी संस्था जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिसूचित की गई हो।
  - (6) 'निजी संस्था' से अभिप्रेत है, कोई तकनीकी शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित न हो और किसी भी प्रकार की ब्रित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो।

- (2) It shall be mandatory for the candidate to deposit the fees of the concerned institution within the prescribed date and time. If the candidate does not deposit the fees, his/her admission shall be treated as cancelled.
- **10.** Last date of Admission. The date fixed by AICTE for admission shall be considered as the last date for admission.
- 11. Cancellation of Admission. -If it is found that any candidate has managed to get allotment/admission in any institution by furnishing false/ incorrect information or by hiding relevant facts or it is found at any time after admission that the candidate has got admission by mistake, then such admission given to the candidate shall be cancelled by the Institution/University during the course of his/her studies. In case of any dispute or doubt regarding admission, the decision of the concerned University shall be final.
- 12. **Removal of Difficulties.** In case of any difficulty related to these rules, the decision of the counselling committee shall be final.
- **13. Amendment.** State Government of Chhattisgarh reserves the right to amend any rule/ procedure of admission at any time as required in public interest and any such amendment shall be binding.
- **14. Interpretation.** If any question arises regarding the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, and the decision of the State Government thereon shall be final and binding.
- **15. Repeal and Savings.** All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed in respect of the matters covered by these rules.

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed before these rules come into force shall be deemed to have been ordered or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, TOPESHWAR VERMA, Secretary.

## अटल नगर, दिनांक 11 मई 2023

# अधिसूचना

क्रमांक/एफ–9–5/2023/तक.शि/42.— राज्य शासन अपनी कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ की पॉलीटेक्निक संस्थाओं के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :–

# 1. संक्षिप्त नाम एवं विस्तार–

- (1) यह नियम ''छत्तीसगढ़ की पॉलीटेक्निक संस्थाआ के डिप्लोमा पाठ्यकमों हेत्र प्रवेश नियम–2023'' कहलायेंगे।
- (2) यह नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर लागू होंगे ।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशित होने के तिथि से प्रभावी होंगे।
- परिभाषायें इन नियमों में, जहां तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नानुसार होगा –
  - (1) 'छत्तीसगढ़' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य, जो केन्द्र शासन को अधिसूचना के कारण दिनांक 01—11—2000 को अस्तित्व में आया ।
  - (2) 'अभातशिप' से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
  - (3) 'अभ्यर्थी' से अभिप्रेत है, उस व्यक्ति से जो इन नियमों के अंर्तगत प्रवेश हेतु इच्छुक है एवं जिसने इस हेतु इन नियमों के अंतर्गत आवेदन किया है।
  - (4) 'अल्पसंख्यक संस्था' से अभिप्रेत है, ऐसी संस्था जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिसूचित की गई हो।
  - (5) 'निजी संस्था' से अभिप्रेत है, कोई तकनीकी षिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित न हो और किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो।

- (6) 'पीपीटी' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, नवा रायपुर, अटल नगर द्वारा डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली राज्य स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा, प्री पॉलीटेक्निक टेस्ट।
- (7) 'डिप्लोमा इंजीनियरिंग' से अभिप्रेत है, इंजीनियरिंग में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित समस्त डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी पाठ्यकम।
- (8) 'काउंसिलिंग समिति' से अभिप्रेत है, विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेष हेतु काउंसिलिंग कार्य एवं प्रवेश संबंधित निर्णय करने हेतु राज्य शासन द्वारा गठित समिति।
- (9) माओवाद प्रभावित जिलों से अभिप्रेत है, सरगुजा, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, कोरिया, जशपुर, सुकमा, रामानुजगंज, कोंडागांव, सूरजपुर, दंतेवाड़ा जिले, एवं गैर माओवाद प्रभावित जिलों से अभिप्रेत है माओवाद प्रभावित जिलों को छोडकर छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य जिले।
- 3. प्रवेश हेतु आरक्षण— डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ आरक्षण क प्रावधान, इन पाठ्यक्रम में प्रवेश दिये जाने के समय विधि के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में लागू आरक्षण संबंधी प्रावधानों के अनुसार होंगे।

#### 4. प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता—

- (1) डिप्लोमा इंजीनियरिंग एवं डिप्लोमा ऑर्किटेक्चर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से गणित एवं विज्ञान विषय के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण।
- (2) डिप्लोमा कास्ट्यूम डिजाईन एवं ड्रेस मेकिंग तथा डिप्लोमा इंटीरियर डेकोरेशन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण।
- (3) डिप्लोमा मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट तथा डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट एवं केटरिंग टेक्नालॉजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतू (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण।
- (4) डिप्लोमा इंजीनियरिंग (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा की परीक्षा अभातशिप द्वारा निर्धारित विषयों के साथ उत्तीण।

अथवा

डिप्लोमा इंजीनियरिंग (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण एवं 2 वर्षीय आई.टी.आई. प्रमाण–पत्र (NCVT/SCVT) से जारीद्ध परीक्षा उत्तीर्ण।

# 5. प्रवेश हेतु सीटों में मैनेजमेंट एवं अल्पसंख्यक कोटा –

- (1) निजी संस्थाओं में मैनेजमेन्ट कोटा के तहत 15 प्रतिशत सीटें रहेंगी।
- (2) छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अल्पसंख्यक घोषित की गई निजी संस्थाओं में अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत सीटें रहेंगी।

# **6.** प्रावीण्यता सूचियॉ—

- (1) इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतू निम्नलिखित प्रावीण्यता सूचियां बनाई जायेंगी
  - (क) पीपीटी प्रावीण्यता सूची– यह प्रावीण्यता सूची पीपीटी में प्राप्तांकों के घटते कम में बनाई जायेगी।
  - (ख) कक्षा 10वीं (गणित एवं विज्ञान विषय) प्रावीण्यता सूची– यह प्रावीण्यता सूची, सरगुजा, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, कोरिया, जशपुर, सुकमा, रामानुजगंज, कोंडागांव, सूरजपुर एवं दंतेवाडा जिलों के अभ्यर्थियों के लिये कक्षा 10वीं में गणित एवं विज्ञान विषय के प्राप्तांको के प्रतिशत के आधार पर घटते क्रम में बनाई जायेगी।
  - (ग) कक्षा 10वीं प्रावीण्यता सूची– यह प्रावीण्यता सूची, कक्षा 10वीं परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर घटते कम में बनाई जायेगी।
  - (घ) कक्षा 12वीं प्रावीण्यता सूची– यह प्रावीण्यता सूची, कक्षा 12वीं परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर घटते कम में बनाई जायेगी।
  - (ड) लेटरल एण्ट्री प्रावीण्यता सूची– यह प्रावीण्यता सूची, जो अभ्यर्थी आई टी आई के आधार पर प्रवेश चाहते हैं, उनके आई टी आई के प्राप्तांकों का प्रतिशत एवं जो अथ्यर्था कक्षा 12वीं के आधार पर प्रवेश चाहते हैं उनके कक्षा 12वीं के प्राप्तांकों का प्रतिशत घटते कम में रखकर बनाई जायेगी ।
- (2) समान प्राप्तांक, प्रतिषत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को प्रावीण्यता सूची में ऊपर रखा जायेगा ।

- 7. काउंसिलिंग– सीटों के आबंटन हेतु काउसिलिंग ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा की जायेगी। काउंसलिंग कार्य हेतु शासन द्वारा कॉउसिलिंग समिति का गठन किया जायेगा। कॉउसिलिंग हेतु शासन द्वारा निर्धारित गैर वापसी योग्य फीस अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन जमा की जायेगी।
- 8. सीट आबंटन का क्रम -
  - (1) डिप्लोमा इंजीनियरिंग एव डिप्लोमा ऑर्किटेक्चर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु
    - (अ) माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतु
      - (क) माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थानों की सीटों का आबंटन सर्वप्रथम नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (क) में दी गयी पीपीटी प्रावीण्यता सूची में शामिल इन्ही जिलों के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा।
      - (ख) खण्ड (क) के अनुसार आबंटन के बाद माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थानों की सीटे खाली बच जाने पर बची हुई सीटों का आबंटन नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) में दी गयी कक्षा 10वीं (गणित एवं विज्ञान विषय) प्रावीण्यता सूची में शामिल इन्ही जिलों के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा।
      - (ग) खण्ड (क) एवं खण्ड (ख) के अनुसार आबंटन के बाद माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थानों की सीटे खाली बच जान पर बची हुई सीटों का आबंटन सर्वप्रथम नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (क) में दी गयी पीपीटी प्रावीण्यता सूची में शामिल इन्ही जिलों से संबंधित संभाग के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा एवं इसके बाद भी यदि सीटें बची रह जाती है तो उनका आबंटन नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) में दी गयी कक्षा 10वीं (गणित एवं विज्ञान विषय) प्रावीण्यता सूची में शामिल इन्ही जिलों से संबंधित संभाग के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा।
      - (घ) खण्ड (क), (ख) एवं (ग) के अनुसार आबंटन के बाद यदि इन माओवाद प्रभावित जिलों में रिश्वत पॉलीटेक्निक संस्थानों की सीटें बच जाती हैं तो उनका आबंटन नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (क) में दी गयी पीपीटी प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य जिलों के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा, और इसक बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं तो उनका आबंटन नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (क) में दी गयी पीपीटीं प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को किया जायेगा।
    - (ब) गैर–माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतु –

गैर माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पालीटेक्निक संस्थाओं की सीटों का आबंटन सर्वप्रथम नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (क) में दी गयी पीपीटी प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं तो उनका आबंटन नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (क) में दी गयी पीपीटी प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को किया जायेगा ।

- (2) कास्ट्यूम डिजाईन एवं ड्रस मेकिंग तथा इंटीरियर डेकोरेशन पाठ्यकमों में प्रवेश हेतु
  - (अ) माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतु-
    - (क) माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थानों की सीटों का आबंटन सर्वप्रथम नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) में दी गयी कक्षा 10वीं प्रावीण्यता सूची में शामिल इन्ही जिलों के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा, एवं इन जिलों के अभ्यर्थी शेष न रह जाने पर बची हुई सीटों का आबंटन इन्ही जिलों से संबंधित संभाग के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा।
    - (ख) खण्ड (क) अनुसार आबंटन के बाद यदि इन जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थानों की सीटें बच जाती हैं तो उनका आबंटन नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) में दी गयीकक्षा 10वीं प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य जिलों के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं तो उनका आबंटन नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) में दी गयी कक्षा 10वीं प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को किया जायेगा।
  - (ब) गैर–माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेत् –

गैर माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पालीटेक्निक संस्थाओं की सीटों का आबंटन सर्वप्रथम नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) में दी गयी कक्षा 10वीं प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अथ्यर्थियों को किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं तो उनका आबंटन नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) में दी गयी कक्षा 10वीं प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को किया जायेगा।

- (3) मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट तथा होटल मैनेजमेंट एवं केटरिंग टेक्नालॉजी पाठ्यकमों में प्रवेश हेतू
  - (अ) माओवाद प्रभावित जिलो में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतु–
    - (क) माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थानों की सीटों का आबंटन सर्वप्रथम नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (घ) में दी गयी कक्षा 12वीं प्रावीण्यता सूची में शामिल इन्ही जिलों के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा, एवं इन जिलों के अभ्यर्थी शेष न रह जाने पर बची हुई सीटों का आबंटन इन्ही जिलों से संबंधित संभाग के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा।
    - (ख) खण्ड (क) अनुसार आबंटन के बाद यदि इन जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थानों की सीटें बच जातो हैं तो उनका आबंटन नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (घ) में दी गयी कक्षा 12वीं प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य जिलों के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं तो उनका आबंटन नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (घ) में दी गयी कक्षा 12वीं प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को किया जायेगा।
  - (ब) गैर–माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतू –

गैर माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पालीटेक्निक संस्थाओं की सीटों का आबंटन सर्वप्रथम नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (घ) में दी गयी कक्षा 12वीं प्रावोण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अथ्यर्थियों को किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं तो उनका आबंटन नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (घ) में दी गयी कक्षा 12वीं प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ राज्य क बाहर के अभ्यर्थियों को किया जायेगा।

(4) डिप्लोमा इंजीनियरिंग (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) पाठ्यकमों में प्रवेश हेतु –

डिप्लोमा इंजीनियरिंग (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) पाठ्यकमों में प्रवेश हेतु सीटों का आबंटन सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ड) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती है, तो उनका आबंटन नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (ड) की प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को किया जायेगा।

### 9. दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन तथा संस्था में प्रवेश –

- (1) काउंसिलिंग में किया गया सीट का आबंटन प्रविधिक होगा। काउंसिलिंग में संस्था एवं पाठ्यक्रम के आबंटन के पश्चात अभ्यर्थी को संबंधित संस्था में जाकर अपने मूल दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन कराना होगा। मूल दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ही प्रवेश दिया जावेगा।
- (2) अभ्यर्थी को संबंधित संस्था की फीस निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी फीस जमा नहीं करता है, तो उसका प्रवेश निरस्त माना जावेगा।
- 10. प्रवेश की अंतिम तिथि– अभातशिप द्वारा प्रवेश के लिये निर्धारित तिथि ही अंतिम तिथि मानी जायेगी।
- 11. प्रवेश रद्द करना— यदि यह पाया गया कि कोई अभ्यर्थी किसी संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपाकर आबंटन/प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात किसी भी समय यह पाया गया कि अभ्यर्थी को त्रुटिवश प्रवेश मिल गया है तो अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया दिया गया निर्णय अंतिम होगा।
- 12. **कठिनाईयों का निराकरण** इन नियमों से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति में कॉउसिलिंग समिति का निर्णय अंतिम होगा।
- 13. संशोधन— छत्तीसगढ़ राज्य शासन प्रवेश क किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।
- **14.** निर्वचन– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रष्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा इस पर शासन का विनिश्चय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
- **15.** निरसन एवं व्यावृत्ति— इस नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतदुद्वारा निरसित किये जाते हैं।

परंतु इन नियमों के प्रभावशील होने के पूर्व इस प्रकार निरसित नियमों क अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, टोपेश्वर वर्मा, सचिव.

# Atal Nagar, the 11th May 2023

#### NOTIFICATION

Number/F-9-5/2023/Tech.Edu/42.— The State Government acting upon its executive powers, hereby makes the following rules for admission to Diploma Programs for Polytechnic institutions of Chhattisgarh, namely:

#### 1. Short title and extent. -

- (1) These rules may be called "Admission Rules for Diploma Programs for Polytechnic Institutions of Chhattisgarh, 2023".
- (2) These rules shall apply to the whole of Chhattisgarh.
- (3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Definitions.** In these rules, unless the context otherwise requires, the following expressions shall mean:
  - (1) "Chhattisgarh" means the State of Chhattisgarh, which came into existence on 01-11-2000 due to the notification of the Central Government;
  - (2) "AICTE" means the All India Council for Technical Education, New Delhi;
  - (3) "Candidate" means a person, who is willing to take admission as per these rules and who has made an application for the same under these rules;
  - (4) "Minority Institution' means such institution, which has been notified as a minority Educational Institution by the Government of Chhattisgarh;
  - (5) "Private Institution" means any Technical Educational Institution, which is not established by any State or Central Government and is not receiving any kind of financial aid or grant-in-aid;
  - (6) "PPT" means the Pre Polytechnic Test, State Level Common Entrance Test, conducted by the Chhattisgarh Professional Examination Board, Nava Raipur, Atal Nagar for the purpose of determining the merit list for admission to the Diploma Engineering programs;
  - (7) "Diploma Engineering" means all diploma level technical programs in Engineering approved by All India Council for Technical Education, New Delhi;
  - (8) "Counselling Committee" means the committee formed by the State Government for conducting counselling work for admission to various programs and to take decisions on admission-related issues;
  - (9) "Left Wing Extremism (LWE) affected districts" means Surguja, Bastar, Bijapur, Narayanpur, Kanker, Koriya, Jashpur, Sukma, Ramanujganj,Kondagaon, Surajpur, Dantewada districts, and Non-Left Wing Extremism affected districtsmeans otherdistricts of Chhattisgarh State excluding Left Wing Extremism (LWE) affected districts.
- **3. Reservations for Admission.** The reservations for admission to the diploma programs shall be as per the reservation related provisions prevailing in the State of Chhattisgarh as per the law at the time of admission to these programs.

#### 4. Educational Qualification for Admission. –

(1) For admission to Diploma in Engineering and Diploma in Architecture programs: Passed 10thclass examination with Mathematics and Science as subjects from recognized board under (10+2) education system.

- (2) For admission to Diploma in Costume Design and Dress Making and Diploma in Interior Decoration programs Passed class 10thexamination from recognized board under (10+2) education system.
- (3) For admission to Diploma in Modern Office Management and Diploma in Hotel Management and Catering Technology programs - Passed class 12th examination from recognized board under (10+2) education system.
- (4) For admission to Diploma in Engineering (Lateral Entry 2nd Year) Passed class 12th examination from recognized board under (10+2) education system with subjects prescribed by AICTE.

Or

For admission to Diploma in Engineering (Lateral Entry 2nd Year) Passed class 10th examination from recognized board under (10+2) education system and passed 2 years I.T.I. Certificate (issued from NCVT/SCVT) Examination.

#### 5. Management and Minority quota in seats for admission. -

- (1) There shall be 15 percent seats under management quota in private institutions.
- (2) 50 percent seats shall be reserved for minority candidates in private institutions which are declared Minority Institutions by the Scheduled Tribal and Scheduled Caste Development Department of Government of Chhattisgarh.

#### 6. Merit Lists. -

- (1) The following merit lists shall be prepared for admission under these rules -
  - (a) PPT Merit List This merit list shall be prepared in descending order of marks obtained in PPT.
  - (b) Class 10th (Mathematics and Science subject) Merit List This merit list shall be prepared in descending order on the basis of percentage of marks obtained in Mathematics and Science subject of class10th for the candidates of Sarguja, Bastar, Bijapur, Narayanpur, Kanker, Koriya, Jashpur, Sukma, Ramanujganj, Kondagaon, Surajpur and Dantewada districts.
  - (c) Class 10th Merit List This merit list shall be prepared in descending order on the basis of percentage of marks obtained in class 10th examination.
  - (d) Class 12thMerit List This merit list shall be prepared in descending order on the basis of percentage of marks obtained in class 12th examination.
  - (e) Lateral Entry Merit List –This merit list shall be prepared in descending order on the basis of percentage of I.T.I. marks of the candidates who want to get admission on the basis of I.T.I., and on the basis of percentage of marks of class 12th examination of the candidates who want to get admission on the basis of class 12th.
- (2) Among the candidates who obtain the same marks, percentage, the candidates who are older in age shall be placed higher in the merit list.
- 7. **Counselling.-** Counselling for allotment of seats shall be done through online process. A counselling committee shall be constituted by the government for counselling work. The non-refundable fee prescribed by the government for counselling shall be deposited online by the candidates.

#### 8. Order of seat allotment. –

(1) For admission to Diploma in Engineering and Diploma in Architecture programs-

- (A) For Polytechnic Institutions situated in Left Wing Extremism (LWE) affected districts
  - (a) Allotment of seats in Polytechnic Institutes situated in Left Wing Extremism (LWE) affected districts shall be done first to the candidates domicile of these districts who are listed in the PPT Merit List given in Clause (a) of Sub-Rule (1) of Rule 6.
  - (b) After the allotment as per Clause (a), if the seats are left vacant in the Polytechnic institutes situated in the Left Wing Extremism (LWE) affected districts, allotment of the remaining seats shall be doneto thecandidates domiciles of the sedistricts who are

listed in the class 10th(Mathematics and Science subjects) Merit Listgiven in Clause (b) of Sub-Rule (1) of Rule 6.

- (c) After allotment as per Clause (a) and Clause (b), if the seats of Polytechnicinstitutes situated in Left Wing Extremism (LWE) affected districts are left vacant, the allotment of the remaining seats shall be done first to the candidates domicile of the divisions related to these districts who are listed in the PPT Merit List given in Clause (a) of Sub-Rule (1) of Rule 6 and even after this, if the seats are left vacant, then their allotment shall be done to the candidates domiciles of the division related to these districts who are listed in the Clause 10th (Mathematics and Science subjects) Merit List given in Clause (b) of Sub-Rule (1) of Rule 6.
- (d) After allotment as per Clauses (a), (b) and (c), if the seats are left vacant in the Polytechnic institutes situated in the Left Wing Extremism (LWE) affected districts, then their allotment shall be done to the candidates domiciles of other districts of Chhattisgarh State who are listed in the PPT Merit List given in Clause (a) of Sub-Rule (1) of Rule 6. Even after this, if seats are left vacant, then their allotment shall be done to the candidates from outside the State of Chhattisgarh who are listed in the PPT Merit List given in Clause (a) of Sub-Rule (1) of Rule 6.
- (B) For Polytechnic institutions situated in Non-Left Wing Extremism (LWE) affected districts –

Allotment of seats in Polytechnic institutions situated in non-Left Wing Extremism (LWE) affected districts shall be done first to the candidates domicile of Chhattisgarh State who are listed in the PPT Merit List given in Clause (a) of Sub-Rule (1) of Rule 6, and even after that if seats are left vacant, then they shall be allotted to candidates from outside the State of Chhattisgarh who are listed in the PPT Merit List given in Clause (a) of Sub-Rule (1) of Rule 6.

- (2) For admission to Costume Design and Dress Making and Interior Decoration programs-
  - (A) For Polytechnic Institutions situated in Left Wing Extremism (LWE) affected districts –
  - (a) Allotment of seats in Polytechnic institutes situated in Left WingExtremism (LWE) affected districts shall be done first to the candidates domiciles of these districts who are listed in the class 10thMerit List given in Clause (c) of Sub-Rule (1) of Rule 6, and if there is no remaining candidate of these districts, the remaining seats shall be allotted to the candidates domiciles of the division related to these districts.
    - (b) After allotment as per Clause (a), if seats in the Polytechnic institutes situated in these districts are left vacant, then their allotment shall be doneto the candidates domiciles of other districts of the State of Chhattisgarh who are listed in the class 10thMerit List given in Clause (c) of Sub-Rule (1) of Rule 6and even after this, if seats are left vacant, then their allotment shall be done to the candidates from outside the State of Chhattisgarh who are listed in the class 10thMerit List given in Clause (c) of Sub-Rule (1) of Rule 6.

(B) For Polytechnic Institutions situated in Non-Left Wing Extremism(LWE) affected districts –

Allotment of seats in Polytechnic institutions situated in non-Left Wing Extremism (LWE)affected districts shall be done first to the candidates domicile of Chhattisgarh State who are listed in class 10thMerit List given in Clause (c) of Sub-Rule (1) of Rule 6, and even after that if the seats are left vacant, they shall be allotted to the candidates from outside the State of Chhattisgarh who are listed in the class 10thMerit List given in Clause (c) of Sub-Rule (1) of Rule 6.

- (3) For admission to Modern Office Management and Hotel Management and CateringTechnology programs-
  - (A) For Polytechnic institutions situated in Left Wing Extremism (LWE) affected districts-
  - (a) Allotment of seats in Polytechnic institutes situated in Left Wing Extremism (LWE) affected districts shall be done first to the candidates domiciles of these districts who are listed in the class 12th Merit List given in Clause (d) of Sub-Rule (1) of Rule 6, and

422 (17)

if there is no remaining candidate of these districts, the remaining seats shall be allotted to the candidates domiciles of the division related to these districts.

- (b) After allotment as per Clause (a), if seats in the Polytechnic institutes situated in these districts are left vacant, then their allotment shall be done to the candidates domiciles of other districts of the State of Chhattisgarh who are listed in the class 12thMerit List given in Clause (d) of Sub-Rule (1) of Rule 6and even after this, if seats are left vacant, then their allotment shall be done to the candidates from outside of the State of Chhattisgarh who are listed in Clause (d) of Sub-Rule (1) of Rule 6and even after this, if seats are left vacant, then their allotment shall be done to the candidates from outside of the State of Chhattisgarh who are listed in the class 12thMerit List given in Clause (d) of Sub-Rule (1) of Rule 6.
- (B) For Polytechnic institutions situated in non-Left Wing Extremism (LWE) affected districts

Allotment of seats in polytechnic institutions situated in non-Left Wing Extremism (LWE) affected districts shall be done first to the candidatesdomicile of Chhattisgarh State who are listed in class 12thMerit List given in Clause (d) of Sub-Rule (1) of Rule 6, and even after that if seats are left vacant, they shall be allotted to the candidates from outside the State of Chhattisgarh who are listed in the class 12thMerit List given in Clause (d) of Rule 6.

(4) For admission to Diploma Engineering (Lateral Entry Second Year) programs.-

Allotment of seats for admission to Diploma Engineering (Lateral Entry Second Year) programs shall be done first to the candidates domicile of Chhattisgarh State who are listed in the Merit list of Clause (e) of Sub-Rule(1) of Rule 6, and even after that if seats are left vacant, then they shall be allotted to the candidates from outside the State of Chhattisgarh who are listed in the Merit List of Clause (e) of Sub-Rule (1) of Rule 6.

#### 9. Examination and Verification of the documents and Admission in the Institution.-

- (1) The allotment of seats done in the counselling shall be provisional. After allotment of the Institute and program in the counselling, the candidate shall have to go to the concerned Institute and get his/her original documents examined and verified. Admission shall be given only after the verification of original documents.
- (2) It shall be mandatory for the candidate to deposit the fees of the concerned institution within the prescribed date and time. If the candidate does not deposit the fees, his/her admission shall be treated as cancelled.
- **10.** Last date of Admission.- The date fixed by AICTE for admission shall be considered as the last date for admission.
- 11. Cancellation of Admission.- If it is found that any candidate has managed to get allotment/admission in any institution by furnishing false/incorrect information or by hiding relevant facts or it is found at any time after admission that the candidate has got admission by mistake, then such admission given to the candidate shall be cancelled by the Institution/University during the course of his/her studies. In case of any dispute or doubt regarding admission, the decision of the concerned University shall be final.
- **12. Removal of Difficulties. -** In case of any difficulty related to these rules, the decision of the counseling committee shall be final.
- **13. Amendment.-**State Government of Chhattisgarh reserves the right to amend any rule/procedure of admission at any time as required in public interest and any such amendment shall be binding.
- **14. Interpretation. -** If any question arises regarding the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, and the decision of the State Government thereon shall be final and binding.
- **15. Repeal and Savings.** All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed in respect of the matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed before these rules come into force shall be deemed to have been ordered or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, TOPESHWAR VERMA, Deputy Secretary.